निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 23 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के माह 12/2016 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री सुनील कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री आलोक कुमार लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21/06/2018 से 28/06/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी. के. श्रीवास्तव, श्री अशोक कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 19/02/2016 से 22/12/2016 तक जे.एम.एस. बंसल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2016 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(2) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: अल्मोड़ा ज़िले के अन्तर्गत सभी ब्लॉक, जिले के अंतर्गत मार्गो का सुधारीकरण, निर्माण, पुल निर्माण इत्यादि ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2016-17	N.A.	NIL	653.86	525.85	1991.89	1510.62	-	-	-	609.28
2017-18	N.A.	NIL	783.36	757.73	2144.52	2144.52	-	-	-	31.63
2018-19 (5/2018 तक)	N.A.	NIL	558.11	167.73	1376.00	622.78	-	-	-	1193.60

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय अधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
शून्य					

(iii) इकाई का बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **B** श्रेणी की है ।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया ।

(VI) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में दिनांक 16/01/2017 से 20/01/2017 का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमश: माह 09/2017.तक की गई।
5. **फॉर्म-51**: माह 05/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

   भाग प्रथम- ` (-) 4416106.00

   भाग द्वितीय- ` 243181

6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष 05/2018 के अंत में

1.नकद परिशोधन- शून्य
2.सामग्री क्र्य- शून्य
3.निक्षेप पंजिका- ₹ 715617621
4.प्रकीर्ण अग्रिम- ....
5.भंडार- ` 2529175

भाग दो (ब)

प्रस्तर:- 1 ₹24.046 लाख की एलडी की वसूली न किए जाना |

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत हरड़ा-शीतलाखेत मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लंबाई-08.00 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 3704/III(2)/08-49 (एम0एल0ए0)/08 दिनाक 19.11.2008 द्वारा 15.00 किमी हेतु लागत `420.00 लाख की प्राप्ति हुई थी। इस कार्य की आंशिक प्राविधिक स्वीकृति पूर्व में 8 किमी0 पार्ट-I के कार्य हेतु लागत रु0133.84 लाख हेतु कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अलमोड़ा के पत्रांक-7279/505 याता0-कु0/2011 दिनांक 26.06.2011 द्वारा प्रदान की गई थी। वर्तमान में इस कार्य की प्राविधिक स्वीकृति 8 किमी0 पार्ट-II के कार्य हेतु लागत रु0 286.16 लाख हेतु कुल पूर्ण प्रदत्त प्राविधिक स्वीकृति धनराशि रु0 420.00 लाख कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अलमोड़ा के पत्रांक - 401/101 याता0-कु0/2016 दिनांक 27.01.2016 द्वारा प्रदान की गई। स्वीकृति में बताया गया कि कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार स्वीकृत 15 किमी0 लम्बाई के स्थान पर केवल 8 किमी0 लम्बाई की ही आवश्यकता है।

उक्त कार्य (पार्ट द्वितीय का कार्य) हेतु श्री गिरधर सिंह अधिकारी के साथ लागत रु0 2,40,40,892.04 का अनुबंध संख्या 13/S.E-01/2015-16 दिनांक 30.01.2016 गठित किया गया उक्तानुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 30.01.2016 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 29.01.2017 थी। परंतु कार्य पूर्ण होने की तिथि के पश्चात लेखापरीक्षा तिथि (जून 2018) तक ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। अतः General Conditions of Contract 46 (Liquidated damages) के अनुसार The liquidated damages for the whole of the Works are (1/2000)th of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand, per day (as stated in the PCC) अधिकतम अनुबंध लागत का 10% लोक निर्माण विभाग को देय था। ठेकेदार को समय वृद्धि नहीं दी गयी है न ही ठेकेदार के देयक से LD की कटौती की है।

खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया कि ठेकेदार को समय वृद्धि दी गई है तथा जहां तक अधिक व्यय किये जाने का प्रश्न है तो वर्ष 2008 में प्राप्त स्वीकृती के विरुद्ध

वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2016 तक कार्य कराने निर्माण सामग्री एवं श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी हो जाने के कारण सम्पूर्ण धनराशि व्यय हो गयी है ।

लेखापरीक्षा खंड के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि 4th/ Running Bill वाया दिनांक 18.7.17 तक ठेकेदार को अनुबंध लागत `2,40,40,892.04 के सापेक्ष रु0 2,40,15,698.89 का भुगतान कर दिया गया जबकि उक्त बिल के अनुसार कार्य प्रगति पर है तथा Time extension Applied है। इस प्रकार कार्य समाप्ति की अंतिम तिथि (जनवरी 2017) बीत जाने के एक वर्ष 4 माह बाद भी LD की कटौती ठेकेदार के देयक से नहीं की गई थी । साथ ही खंड द्वारा समय वृद्धि दिये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार लेखापरीक्षा तिथि (जून 2018) तक अनुबंध की शर्तानुसार LD नहीं काटी गई थी। साथ ही शासन से पूर्व मे प्राप्त 12 किमी0 मोटर मार्ग के नव निर्माण के स्थान पर मात्र 8 किमी0 मार्ग का निर्माण की पुनः प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई।

अतः ₹24.04[1]लाख की एलडी की वसूली लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

-----

[1]अनुबंध लागत ₹2,40,40,892 का 10%

भाग-2(ब)

प्रस्तर-2 विभिन्न कार्यो पर बिना आवंटन के ` 134.92 लाख की धनराशि का व्यय भारित किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि मासिक लेखा माह 3/2018 के प्रपत्र-64 में निम्न कार्यो पर वितीय वर्ष 2017-18 में बिना आवंटन के व्यय भारित किया गया है।

राज्य सेक्टर (प्रथम चरण)		
(I)	जनपद अल्मोड़ा को विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-सैनार-चाण मोटर मार्ग का निर्माण (60 मी. विस्तार स्टील गर्डर सेतु सहित) मा.मु.म.घो. सं. 748/2012	31000/-
(ii)	मा.मु.मं.घो. सं. 781/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में दौलाघाट - गुरनामोटर मार्ग निर्माण	7564/-
(iii)	मा.मु.मं.घो. सं. 2563/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जोगेश्वर के अन्तर्गत ढौरा - मोतियाथाथर मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण)	29760/-
(iv)	मा.मु.म.घो. सं. 2293/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्याही देवी मन्दिर तक मोटर मार्ग के विस्तार कार्य (लम्बाई 6 कि.मी.) प्रथम चरण	18848/-
राज्य सेक्टर (सामान्य नव निर्माण मोटर मार्ग)		
(v)	ज्वार नैणी से बकसवाड़ मोटर मार्ग	98989/-
(vi)	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में हौली-डे-होम हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण	204973/-
राज्य सैक्टर सामान्य (पुनः निर्माण एवं सुधार)		
(vii)	मा.मु.मं.घो. सं. 902/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत पैखान-नैनोला मोटर मार्ग के कि.मी. 1 से 3 में डामरीकरण / सुधारीकरण का कार्य	402910/-
(viii)	मा.मु.म.घो. सं. 903/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र के सोमेश्वर के	521772

	अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य	
(ix)	जनपद अल्मोड़ा के मा.मु.म.घो. सं 2300/2015 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा के चाणबैण्ड से मार्ग के डामरीकरण का कार्य के संबंध में (कि.मी. 3 से 12 तक)	4218757/-
(x)	मा.मु.म.घो. सं. 2296/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा ज्योली, कुज्याड़ी बसर मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य	2359192/-
(xi)	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चायखान थुवासिमल मोटर मार्ग में कृश बैरियर लगाने का (द्वितीय चरण) के कार्य पर	5519784/-
	राज्य सैक्टर सामान्य (सेतु निर्माण)	
(xii)	मा.मु.म.घो. सं. 516/2014 के अन्तर्गत अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में कमलेश्वर नदी में ग्राम सैज के पास झुला पुल का निर्माण	79193/-
	कुल	13492742/-

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त कार्यों पर बिना आवंटन (Allotment) के कुल रू. 1,34,92,742/- का व्यय भारित किया गया है।

उक्त के संबंध में पूछे जाने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन के सापेक्ष ही व्यय किया गया है। किसी प्रकार का व्ययाधिक्य नहीं किया गया है। TEO के माध्यम से समायोजन किया गया था जिसके साक्ष्य बाद में प्रस्तुत किये जाएंगे ।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा यदि किसी प्रकार का व्ययाधिक्य नहीं किया गया होता तो (TEO) अन्तरण प्रविष्टी (अप्रस्तुत) के माध्यम से समोयोजन किये जाने के उपरान्त लेखे में (प्रपत्र-64) जिन कार्यो के समक्ष धनावंटन (Allotment) शून्य दर्शाया गया है के समक्ष समायोजन के बाद व्यय भी शून्य दर्शाया गया होता।

अतः खण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न कार्यो पर बिना धनावंटन के ` 13492742/- का व्यय भारित किये जाने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-3 `13.84 लाख के राजस्व की हानि (royalty)।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो.नि.वि. अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि मासिक लेखा माह 3/2018 से संबन्धित निम्न वाउचरों में रॉयल्टी की कटौती खंड द्वारा नहीं की गयी है।

क्रम	**वाउचर संख्या 123 3/2018**	`
1.	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	55956 25956 30000
2.	वाउचर संख्या 152 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	26975 20636 6339
3.	वाउचर संख्या 155 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	26702 2738 23964
4.	वाउचर संख्या 114 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	154564 9212 145352
5.	वाउचर संख्या 171 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	459717 Nil 459717
6.	वाउचर संख्या 97 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	7244 Nil 7244
7.	वाउचर संख्या 99 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	197428 41749 155679

8.	वाउचर संख्या 110 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	162063 Nil 162063
9.	वाउचर संख्या 111 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	70614 Nil 70614
10.	वाउचर संख्या 119 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	2563 Nil 2563
11.	वाउचर संख्या 23 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	14552 Nil 14552
12.	वाउचर संख्या 24 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	15297 Nil 15297
13.	वाउचर संख्या 44 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	125405 Nil 125405
14.	वाउचर संख्या 69 3/2018	
	कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	36702 18080 18622
15.	वाउचर संख्या 95 3/2018	
	बिल में रॉयल्टी की गणना 1.stone 2.sand 3.Grit कुल	 $1566.16m^3$ $129.38m^3$ $32.86m^3$ $1728.90m^3$

	रॉयल्टी की दर `194.50 प्रति cum, के हिसाब से कुल आंकलित रॉयल्टी बिल में से रॉयल्टी की कटौती शेष रॉयल्टी	 336271 189209 147062
	कुल रॉयल्टी जो बिलो से नहीं काटी गयी (1 से 15 तक)	1384473

उक्त की और इंगित करने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि “ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए रॉयल्टी प्रपत्रों के पश्चात ही शेष रॉयल्टी की कटौती की गयी है। साक्ष्य बाद में प्रस्तुत किए जायेंगे ।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि न तो बिलो में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए रायल्टी प्रपत्रों का कोई उल्लेख है और न ही खंड द्वारा साक्ष्य के रूप में रॉयल्टी प्रपत्र लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किए।

अत: खंड द्वारा ठेकेदारो के बिलो से रॉयल्टी न काटे जाने से सरकार को `1384473/- के राजस्व की हानि के प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-4 जमानत धनराशि के रूप में ली गई बैंक गारंटी को वैध न कराया जाना।

जनपद अल्मोड़ा मे कवारब से कोसी तक (कोसी नदी के किनारे) बाई पास मोटर मार्ग का निर्माण लंबाई 15 कि.मी. पार्ट 01 के कार्य हेतु `525.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी (07/2008) अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत, लोक निर्माण विभाग द्वारा `427.98 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य हेतु अनुबंध 18/SE/01/2016 दिनांक 26/03/2016 M/S शिवालिक कन्स्ट्रकशन के साथ लागत `3.88 करोड़ का गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य आरंभ एवं समापन की तिथि क्रमशः 26/03/2016 एवं 25/03/2017 थी ।

अनुबंध में संलग्न GPW-09 की शर्तों के अनुसार For contract agreement of Rs.1.00 crore and above the performance security shall be provided by the contractor to the Employer………….. For an amount of 5% of the contract price or the estimated cost whichever is higher………………….shall be valid till the date of issuance of completion certificate……………….against the possibility of loss.

अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ठेकेदार से कार्य के सापेक्ष `45.03 लाख की जमानत धनराशि ली गई थी। जिसमे से `27.63 लाख Bank Guarntee के रूप में थे। GPW-9 की उक्त शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी को कार्य समाप्ती के उपरांत Completion certificate जारी होने तक वैध रखना था, परंतु प्रश्नगत प्रकरण में बैक गारंटी की वैधता दिनांक 31.12.2017, अर्थात लेखा परीक्षा तिथि (जून-2018) से छ माह पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी, जो कि अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लघन था साथ ही जांच में यह भी पाया गया कि खण्ड द्वारा उक्त बैंक गारंटी की वैधता बढ़वाने हेतु कोई पत्राचार भी नहीं किया गया था जबकि लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य भी अपूर्ण था।

प्रकरण इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए बताया कि बैंक गारंटी की वैधता से सम्बन्धित GPW-9 की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। खण्ड के उत्तर से लेखापरीक्षा की आपत्ति स्वतः पुष्टि हो जाती है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1: विभागीय शिथिलता के कारण कार्य पूर्ण करने की तिथि के बाद भी कार्य की वित्तीय प्रगति मात्र 27% एवं कार्य की प्रगति स्थगित होना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि., अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य पैखास-नैनोली मोटर मार्ग 1 कि.मी. से 3 कि.मी. के डामरीकरण हेतु गठित अनुबंध संख्या 15/एसई-01/2016 दिनांक 16/09/2016 `1,17,43,858.75 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 15/09/2017 थी। खंडीय मासिक लेखा माह 3/2018 के बाउचर संख्या 99 (03/2018) जो उक्त कार्य से संबन्धित चालू बिल है का अवलोकन करने पर प्रकाश में आया कि कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 15/09/2017 होने के बाद भी माह 03/2018 में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल में कार्य की वित्तीय प्रगति मात्र `31,89,787/- थी। खण्ड द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध न तो बिल के भुगतान करते समय कोई अर्थदण्ड लगाया है और न ही कार्य पूरा करने पर कोई कार्यवाही की गई है।

उक्त की और इंगित करने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि ठेकेदार द्वारा अवगत कराया गया है कि पत्थरो की कमी से मार्ग का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है जिस कारण ठेकेदार द्वारा एक अन्य मार्ग के निर्माण से निकाल रहे पत्थरो को उक्त कार्य के प्रयोग में लाये जाने हेतु उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा से अनुमति चाही गयी है जिस के कारण अनावश्यक विलम्भ हो रहा है। खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अन्य कार्य के पहाड़ कटाव के दौरान निकाले जाने वाले पत्थरो का उपयोग उपजिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उक्त कार्य पर किया जाना उचित एवं व्यवहारिक नहीं है। भविष्य में उपजिलाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान न किए जाने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने में असमर्थता दर्शाने की दशा में कार्य पर दरों में वृद्धि होने के कारण अधिक लागत आने की संभावनाओ को भी नकारा नहीं जा सकता है।

अत: खण्ड द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध समय पर उचित कार्यवाही न करने एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि के 6 माह बाद भी कार्य की वित्तीय प्रगति मात्र 31,81,787 यानि मात्र 27% एवं कार्य स्थगित होने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों से संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-2 स्वीकृत लागत से अधिक `41.35 लाख का अनुचित व्यय।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि. अल्मोड़ा, के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि मासिक लेखा माह 03/2018 (प्रपत्र-64) में निम्न कार्यों पर ऋणात्मक व्यय भारित किया गया है।

क्रम संख्या	जिला सेक्टर	`
1.	आलीगैर-लोहना-कुंज मो. मा. के प्रथम 1 कि.मी. में सुधारीकरण के कार्य पर	(-) 5,48,071 /-
2.	डोल-कल्याणी पहुँच मार्ग का सुधारीकरण	(-) 7,28,176 /-
3.	आई-एच मोरनौला की साज-सज्जा का कार्य	(-) 5,46,956 /-
4.	अल्मोड़ा-पौधार मो. मा. के कि.मी. 6 राजपुर में जींदल के मकान के पास सड़क के बचाव हेतु सुरक्षात्मक कार्य (एस.सी.पी.)	(-) 1,94,867 /-
5.	लोअर-अपर माल लिक मार्ग की कि.मी. 02 में थपलिया के पास सड़क के बचाव हेतु नाले का पुनः निर्माण व सुधार कार्य	(-) 3,40,908 /-
6.	एस. आर. एच. खूंट में साज-सज्जा के कार्य पर	(-) 1,38,547 /-
7.	बड़ाल रौतला मो. मा. के कि.मी. 01 तथा किमी 02 डामरीकरण का कार्य (एस. सी. पी.)	(-) 2,91,743 /-
	नाबार्ड -15 (5054)	
8.	शीतलखेत-काकड़ीघाट मोटर मार्ग का नव निर्माण	(-) 5,80,684 /-
	नाबार्ड-21 (5054)	
9.	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में लोधिया-चौमू मो. मार्ग में सुधारीकरण का कार्य	(-) 7,65,000 /-
	कुल ऋणात्मक व्यय	(-) 41,34,952 /-

ऋणात्मक व्ययों से संबन्धित लेखों में कोई भी साक्ष्य नहीं था।

उक्त की और इंगित करने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बतलाया गया कि अनुदान से अधिक व्यय के समायोजन के कारण ऋणात्मक व्यय किया गया है तथा स्वीकृत कार्यो पर स्वीकृत लागत तक व्यय सीमित रखा गया है। ऋणात्मक धनराशियों TEO के माध्यम से समायोजित की गयी है। साक्ष्य बाद में प्रस्तुत किए जायेगे ।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत लागत अनुदान से अधिक व्यय किया जाना वित्तीय नियमो के विपरीत एवं अनुचित है।

अत: खंड द्वारा स्वीकृत कार्यो पर स्वीकृत लागत से अधिक कुल `41,34,952 /- का अनुचित व्यय किए जाने के प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर- 3 `5.74 लाख का विगत 12 वर्षों से समायोजित रहना।

खण्ड के प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका की नमूना जांच में पाया गया कि "शहीद देवड़ी अल्मोड़ा" के विरुद्ध `5.74 लाख विगत लगभग 12 वर्षो से असमायोजित थे, साथ ही जांच में यह भी पाया गया कि विगत कई वर्षो/माहों से छोटी बड़ी धनराशियाँ कुल `23.87 (माह 5/2018 के abstract के अनुसार कुल `29.61-5.74 लाख=23.87 लाख) भी असमायोजित पड़ी थी।

प्रकरण इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि प्रकीर्ण अग्रिम मद में पड़ी धनराशि की वसूली हेतु भरसक प्रयास किया जा रहा है।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विगत 12 एवं 12 वर्षों के पश्चात विभिन्न वर्षो से छोटी बड़ी धनराशियाँ एवं इस प्रकार कुल `29.61 लाख असमायोजित पड़े हुये थे।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-4- निक्षेप से संबन्धित धनराशि में रु.3.42 करोड़ का अंतर होना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के निक्षेप पंजिका से सम्बंधित अभिलेखों की लेखा परीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि निक्षेप भाग-V पंजिका में माह मई 2018 के सार में अंतिम अवशेष रु. 1,14,160.00 दर्शाया गया है, जबकि माह मई 2018 के प्रेषित मासिक लेखे के Form 79 Schedule of Deposits में अंतिम अवशेष रु0 1,99,045.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार दोनों का अंतर रु 84,885.00 है।

आगे पाया गया की निक्षेप भाग- III पंजिका में माह मार्च 2018 में अंतिम अवशेष रु. 3,53,04,335.00 दर्शाया गया है, जबकि माह मार्च 2018 के प्रेषित मासिक लेखे के Form 79 Schedule of Deposits में अंतिम अवशेष रु0 6,94,15,199.00 दर्शाया गया है। इस प्रकार दोनों का अंतर रु0 3,41,10,864.00 है। निक्षेप भाग- III पंजिका में माह अप्रैल 2018 एवं मई 2018 के इंद्राज नहीं है।

उक्त निक्षेप पंजिका तथा मासिक लेखे के अंतिम अवशेष में अंतरों के कारणों एवं निक्षेप पंजिका V में किए गए इंद्राज तथा उसके सार में अंतरों के कारणों से सम्बंधित लेखा-परीक्षा के बिन्दु के विभागीय उत्तर मे बताया गया कि समायोजन की कार्यवाही की जा रही हैं, निक्षेप पंजिका अद्यतन किये जाने एवं अंतरों का समायोजान अगली लेखा परीक्षा से पूर्व ठीक करा लिया जाएगा। इकाई के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है।

इस प्रकार निक्षेप से संबन्धित धनराशि में रु.3.42 करोड़[2] का अंतर होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

[2] 84,885.00 + 3,41,10,864.00

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II ‘अ’ प्रस्तर संख्या	भाग-II ‘ब’ प्रस्तर संख्या
As per audit memo-98/623 AMP- p/604-606		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			विभाग द्वारा बताया गया है कि विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों के संस्तुति के पश्चात कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

<u>भाग-V</u>

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। **तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:**

कोसी कवारव बाईपास मोटर मार्ग से सम्बन्धित Tender document, Comparative statement etc, सभी Running Bill except-Vth GST payment से संबन्धित data एवं अभिलेख हरड़ाशीतलाखेत मोटर मार्ग से सम्बन्धित समयावृद्धि के अभिलेख

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पद**	**अवधि**
(i)	श्री हरीश चंद पांडे	अधि. अभि.	16/06/16 से वृतमान तक

4.विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबद्ध रहे।

(I) श्री ओम प्रकाश मीना 08/06/2015 तक।

(II) श्री वीरेन्द्र कुमार 09/06/15 से वृतमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II